प्रेस विज्ञप्ति
01.11.2026

प्रवर्तन निदेशालय, लखनऊ आंचलिक कार्यालय ने 31.10.2026 को धन शोधन मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के संस्थापक व मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर के कुलाधिपति मोहम्मद आज़म खान को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, गाजियाबाद द्वारा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

ईडी की जांच मोहम्मद आज़म खान व अन्य के विरुद्ध जुलाई 2019 में थाना अज़ीम नगर, रामपुर में उप्र पुलिस द्वारा आईपीसी, 1860 की धारा 323, 342, 384, 447, 504 व 506 के तहत दर्ज 26 एफआईआर, जिनमें विश्वविद्यालय निर्माण हेतु ग्राम सिंगनखेड़ा, रामपुर के किसानों की कृषि योग्य भूमि पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया गया, के आधार पर शुरू हुई। आरोप है कि किसानों पर हमला किया गया, उन्हें अवैध रूप से बंधक बनाया गया और धमकियां दी गईं, ताकि वे इसके पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित करने के लिए मजबूर हो जाएं।

ईडी ने जांच के दौरान पाया कि लोक निर्माण के लिए आवंटित धनराशि व सामग्री को विश्वविद्यालय की ओर विपथित कर दिया गया, सरकारी निर्माण विश्वविद्यालय के निजी परिसर में कराए गए तथा जिन ठेकेदारों को सरकारी ठेके मिले थे उनसे प्राप्त धनराशि को दान के रूप में वापस ट्रस्ट में भेज दिया गया। ईडी द्वारा साझा की गई सूचना के आधार पर, 13.10.2026 को बीएनएस, 2023 व पीसी एक्ट, 1988 के प्रावधानों के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई; साथ ही, रामपुर में लूट, जबरन वसूली, धोखाधड़ी और जालसाजी के मामलों में दर्ज 28 अन्य प्राथमीकियों को भी जांच के दायरे में लिया गया।

इस मामले में, ईडी ने 28.10.2026 को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत 426.46 करोड़ रुपये की ट्रस्ट के स्वामित्व वाले विश्वविद्यालय की भूमि व भवनों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई उक्त संपत्ति का वर्तमान मूल्य लगभग 1170 करोड़ रुपये है।

पूर्व में, ईडी द्वारा अगस्त 2026 में पीएमएलए के प्रावधानों के तहत रामपुर स्थित विश्वविद्यालय व संबंधित परिसरों में तलाशी ली गई थी। तलाशी के दौरान अपराध-संकेती दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए थे।

आगे की जांच जारी है।